रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 10, 2003/ज्येष्ठ 20, 1925
No. 521] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 10, 2003/JYAISTHA 20, 1925

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2003

का.आ. 666(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रावी और ब्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 (1986 का 2) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में उसी तारीख को किए गए निर्देश के साथ पठित तारीख 25 जनवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या का.आ. 28(अ) के द्वारा रावी और ब्यास जल अधिकरण (अधिकरण) का गठन किया था;

और उक्त अध्यादेश को अन्तरराज्यिक जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 20) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और उसके परिणामस्वरूप अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब व्यवस्थापन के पैरा 9.1 और 9.2 में निर्दिष्ट मामलों के सत्यापन और न्यायनिर्णयन के लिए उसी तारीख को किए गए निर्देश, जिसे 11 दिसम्बर, 1986 और 21 जनवरी, 1987 के निर्देशों द्वारा संशोधित किया गया, के साथ पठित भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 169(अ) तारीख 2 अप्रैल, 1986 (मूल अधिसूचना) द्वारा रावी ओर ब्यास जल अधिकरण का गठन किया गया है;

और, इस अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट तारीख 30 जनवरी, 1987 को केन्द्रीय सरकार को भेज दी थी और उसके पश्चात्, स्पष्टीकरण और मार्ग-दर्शन के लिए तारीख 19 अगस्त, 1987 को इस अधिकरण को और निर्देश किए गए हैं जो पूर्वोक्त अधिकरण के विचाराधीन हैं;

और, माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.एम. अहमदी के स्थान पर नियुक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री यू.सी. बनर्जी ने तारीख 4 जनवरी, 1999 को अधिकरण के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया है;

और, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने पर, रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के एक आसीन न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.वाई. इकबाल को अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मूल अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए, उस अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिससे कि न्यायमूर्ति श्री यू.सी. बनर्जी के स्थान पर न्यायमूर्ति श्री एम.वाई. इकबाल को नियुक्त किया जा सके, अर्थात् :—

मूल अधिसूचना में क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"2. न्यायमूर्ति श्री एम. वाई इकबाल, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय ..... सदस्य"।

2. अधिकरण, पूर्वोक्त तारीख 19 अगस्त, 1987 के निर्देश के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट ऐसे स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन के साथ, जिसे वह ठीक समझे, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

[फा. सं. 15/3/85-सिं.सं.]

ए.के. गोस्वामी, सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 169(अ) तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसमें सं. का.आ. 3234 तारीख 18 नवम्बर, 1996 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2003

S.O. 666(E).—Whereas the Central Government, vide its notification number S.O. 28(E) dated the 25th January, 1986 read with a Reference made in this regard of the same date, constituted the Ravi and Beas Waters Tribunal (the Tribunal), in exercise of the powers conferred by section 3 of the Ravi and Beas Waters Tribunal Ordinance, 1986 (2 of 1986);

And whereas, the said Ordinance was replaced by the Inter-State Water Disputes (Amendment) Act, 1986 (20 of 1986) and consequent thereto, the Ravi and Beas Waters Tribunal has been constituted vide the notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources number S.O. 169(E) dated the 2nd April, 1986 (the principal notification), read with a Reference made in this regard of the same date which was amended vide References dated 11th December, 1986 and 21st January, 1987, for the verification and adjudication of matters referred to in paragraphs 9.1 and 9.2 of the Punjab Settlement in exercise of the powers conferred by section 14 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956);

And whereas, the Tribunal had forwarded its report on 30th January, 1987 to the Central Government and thereafter further references have been made to the Tribunal on 19th August, 1987 for explanation and guidance, which are under consideration of the Tribunal aforesaid;

And whereas Hon'ble Mr. Justice U.C. Banerjee appointed vice Hon'ble Mr. Justice A.M. Ahmadi, has resigned from the post of Member of the Tribunal on 4th January, 1999;

And whereas, on the nomination of the Hon'ble Chief Justice of India, the Hon'ble Mr. Justice M.Y. Eqbal, a sitting judge of the Jharkhand High Court at Ranchi is proposed to be appointed as a Member of the Tribunal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government, in partial modification of its principal notification, hereby makes the following further amendments in that notification so as to appoint Mr. Justice M.Y. Eqbal in place of Mr. Justice U.C. Banerjee, namely :—

In the principal notification, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"2. Mr. Justice M.Y. Eqbal, Judge of the Jharkhand High Court ..... Member".

2. The Tribunal shall forward its report on the abovesaid references dated the 19th August, 1987, giving such explanation or guidance as it deems fit, to the Central Government in terms of sub-section (3) of section 5 of the said Act.

[F. No. 15/3/85-I.T.]

A.K. GOSWAMI, Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 169(E) dated 2nd April, 1986 and subsequently amended vide S.O. 3234 dated 18th November, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.